भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3143

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आदर्श भवन निर्माण संबंधी उपनियमों में संशोधन

†3143. **श्री एम. के. राघवनः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हुई अग्निकांड की दुखद घटनाओं के उपरांत एक व्यापक राष्ट्रीय शहरी अग्नि सुरक्षा एवं भवन संहिता अनुपालन रूपरेखा लागू करने का है**,** जिसके अंतर्गत अधिक जनसंख्या घनत्व वाले सार्वजनिक क्षेत्रों में उन्नत अग्निरोधी (फायर-रिटार्डेंट) निर्माण सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया जाए और यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(ख) क्या सरकार का विचार सभी अधिक क्षमता वाले वाणिज्यिक परिसरों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित वायरलेस अग्नि पहचान प्रणाली तथा भवन प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) के एकीकरण को अनिवार्य बनाने हेतु आदर्श भवन निर्माण संबंधी उपनियमों में संशोधन करने का है और यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी व्यौरा और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) आग की घटनाओं की रोकथाम एवं अग्नि से सुरक्षा राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद बारह की प्रविष्टि 7 के साथ पठित अनुच्छेद के अनुसार 'अग्निशमन सेवाएँ' नगरपालिकाओं का कार्य है। तदनुसार, अग्नि कांड सुरक्षा मानकों का प्रवर्तन तथा उनके अनुपालन की निगरानी संबंधित अधिनियमों/विधियों के अनुसार राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है।

भारत सरकार, अग्निशमन सेवा महानिदेशालय, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड, गृह मंत्रालय के माध्यम से, तकनीकी परामर्शिकाएँ, मॉडल दिशानिर्देश जारी करके और देश भर में आग संबंधी घटनाओं की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देकर एक एडवाइजरी की भूमिका निभाती है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित भारत का राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक-2026 (एनबीसीएस) में अग्नि शमन एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित व्यापक तकनीकी प्रावधान निर्धारित करता है, जिनमें भवन के विभिन्न घटको की अग्नि प्रतिरोधक क्षमता, उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग, अग्नि कम्पार्टमेंटेशन, सुरक्षित निकास के साधन तथा अग्नि सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना शामिल हैं। एनबीसीएस एक आदर्श मानक है, जिसे राज्य सरकारें/स्थानीय निकाय अपनी-अपनी आवश्यकताओं एवं नीतिगत निर्णयों के अनुसार अपने संबंधित भवन उपविधियों के माध्यम से अपनाते हैं।

(ख) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'मॉडल भवन उपविधियां (एमबीबीएल) 2016' तैयार की है, जो प्रकृति में परामर्शात्मक हैं। एमबीबीएल का उद्देश्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आधुनिक भवन विनियमों को अपनाने में सुविधा प्रदान करना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सामान्यतः स्थानीय भौगोलिक, भूकंपीय तथा जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के अनुरूप मॉडल फ्रेमवर्क में संशोधन करते हैं और उन्हें अधिसूचित करते हैं। भवन उपविधियों के प्रावधानों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अपने-अपने अधिनियमों/उपविधियों/विनियमों के अनुसार किया जाता है।
